राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर

आदेश

S.B. Criminal Miscellaneous IV Bail Application No. 10205/2018

S.B. Criminal Miscellaneous Bail No. 10205/2018

1. Ramprasad S/o Shri Harinarayan B/c Luhar, R/o Sakatpura, Police Station Atru, Distt. Baran, Raj. (Confined At Distt. Jail Baran Raj.)

2. Rambabu S/o Shri Harinarayan B/c Luhar, R/o Sakatpura, Police Station Atru, Distt. Baran, Raj. (Confined At Distt. Jail Baran Raj.)

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan Through P.P.

----Respondent

आदेश दिनांक **31** अगस्त, **2018**

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारी लाल शर्मा

श्री के एन शर्मा अधिवक्ता- अभियुक्त-प्रार्थीगण की ओर से
श्री पंकज सिसोदिया विद्वान् लोक अभियोजक वास्ते
श्री बी एन सान्दू अति. राजकीय अधिवक्ता वास्ते राज्य

--

अभियुक्त-प्रार्थीगण ने अपनी जमानत हेतु यह चतुर्थ जमानत प्रार्थना पत्र दण्ड पक्रिया संहिता की धारा-439 के अधीन पुलिस थाना-अटरू जिला बारां में पंजीबद्ध की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-**68/2017** अन्तर्गत धारा-452,307,365,354,34,323,324,325,326,212 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा-4/25 आयुध अधिनियम के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है।

इस पर अधिवक्ता अभियुक्त प्रार्थी एवं विद्वान् लोक अभियोजक को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध करायी गयी सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण के पूर्व में तीन जमानत आवेदन अस्वीकार किये जा चुके

हैं। अब यह चतुर्थ जमानत आवेदन पेश किया गया है।

विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री के एन शर्मा ने निवेदन किया है कि प्रार्थीगण इस प्रकरण में दिनांक 03.03.2017 से अभिरक्षा में है तथा पीड़ित पक्ष ने अपने बयान बढ़ा चढ़ाकर दर्ज कराये हैं। चिकित्सा अधिकारी के कथन लेखबद्ध हो चुके हैं। अत: प्रार्थीगण का चतुर्थ जमानत आवेदन स्वीकार किया जावे।

विद्वान् अधिवक्ता पंकज सिसोदिया, सहायक श्री बी एन सान्दू, अति. महाधिवक्ता ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थीगण पर पीड़िता टीना जो कि 22 वर्षीय युवती है को नहाती हुई को मकान का दरवाजा तोड़कर उसका व्यपहरण कर उसे निरूद्ध कर उसके साथ मारपीट कर गम्भीर चोटे पहुंचाने का आरोप है। अत: प्रार्थीगण का जमानत आवेदन अस्वीकार किया जावे।

उभय पक्ष के तर्कों पर विचार किया गया।

प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा पत्रावली पर उपलब्ध करायी गयी सामग्री तथा अपराध की गम्भीरता व विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि प्रार्थीगण पर पीड़िता टीना पोटर को हथियारो से लैस होकर उसके घर के दरवाजे की कुन्दी तोड़कर उसके ऊपर केरोसिन तेल डालकर उसको नहाती हुई को टोपअप व अन्डरवीयर पहने हुए ही घसीटकर उसके साथ लात घूंसो से मारपीट करते हुए व एक पैर में तलवार घुसाकर जबरन मोटरसाईकिल पर बिठाकर शेरगढ़ के जंगल में ले जाकर उसका मुंह बंद कर गले में रस्सी का फंदा लगाकर उसे मरा हुआ समझकर छोड़ने का गम्भीर आरोप है, जिसकी पुष्टि पी.डब्ल्यू.8 डॉ. राजेश, जिन्होने कि उसका चोट परीक्षण किया है, जिसमें उसके 11 चोटे आना पायी गयी है, से होता है, मैं प्रकरण के इस प्रक्रम पर गुणावगुण पर कोई अन्तिम राय व्यक्त किये बिना अभियुक्त-प्रार्थीगण को धारा-439 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित नहीं पाता हूं।

अत: अभियुक्त-प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह चतुर्थ जमानत का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

(न्या0 बनवारी लाल शर्मा **)**

अनिलशर्मा/M-17